

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 340/2004/जयपुर

मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड जयपुर ।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर ।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटोदी,

अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 20.05.2014


निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी थी, जो अपील संख्या 477/अति.आ.(अपील)/सी.एस.टी./40/2002-03 के संबंध में थी तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिये पारित आदेश दिनांक 24.09.2002 के जरिये कायम मांग राशि के संबंध में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया था। उक्त पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 28.10.2004 के प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया गया। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.10.2004 के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करने पर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.09.2013 के प्रकरण को कर बोर्ड को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किया गया है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1993-94 का मूल निर्धारण आदेश वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-षष्ठम द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत दिनांक 25.09.1996 पारित कर,

लगातार.....2





अपील संख्या - 340/2004/जयपुर  
तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.1996 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तत्कालीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 28.10.1997 के जरिये प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्देशों की पालना में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारण आदेश दिनांक 05.10.1999 पारित किया गया । केन्द्र सरकार के वित्त विधेयक 2000 की धारा 9(2) की उप-धारा 2(बी) को भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ते हुये वित्त विधेयक की धारा 120 के तहत भूतलक्षी प्रभाव से देय ब्याज राशि की वसूली हेतु प्रावधान किये गये हैं, अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन के आलोक में ब्याज आरोपण हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के तहत प्रपत्र एस.टी. 12 में जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज राशि ₹93,982/- कायम कर आदेश दिनांक 24.09.2002 पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2004 के अस्वीकार कर दी गयी । उक्त पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2004 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील क्रमांक 340/2004/जयपुर पर पंजीबद्ध की गयी । जिसे कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) ने जरिये निर्णय दिनांक 28.10.2004 द्वारा मैसर्स राजधनी बर्तन भण्डार बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी जो 110 एस.टी.सी 460 के आलोक में, इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि परिशोधन आदेश दिनांक 24.09.2002 पारित करने के संबंध में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी कारण बताओ नोटिस राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के तहत विहित प्रपत्र एस.टी. 33 में जारी करना चाहिये था, जबकि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के तहत प्रपत्र एस.टी. 12 में जारी किया गया है, जो प्रावधानों के तहत विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, उक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी प्रस्तुत अपील को अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2004 के द्वारा स्वीकार कर लिया






अपील संख्या - 340/2004/जयपुर  
गया। कर बोर्ड के उक्त पारित निर्णय दिनांक 28.10.2004 के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 120/2005 दायर की गयी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 17.04.2008 के अस्वीकार कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील क्रमांक 5248/2009 दायर की गयी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 10.08.2009 के स्वीकार कर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को गुणावगुण पर विचार कर, निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर गुणावगुण पर विचार कर, जरिये आदेश दिनांक 18.09.2013 के प्रकरण को पुनः कर बोर्ड को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में, प्रकरण में सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2004 का समर्थन कर, कथन किया कि अधिनियम-1954 की धारा 17 के तहत पूर्व में पारित किसी भी निर्धारण आदेश को संशोधित करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के तहत विहित प्रपत्र एस.टी. 33 में जारी किया जाना बाध्यकारी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण द्वारा मैसर्स राजधानी बर्तन भण्डार बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी 110 एस.टी.सी 358, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स श्रीमहावीर ट्रेडिंग कम्पनी, टोंक (2003) 16 एस.टी.टी. 66, मैसर्स मोहता इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन कम्पनी बनाम सहायक अतिरिक्त आयुक्त व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1959) 65 आई.टी.आर. 388 को प्रोद्धरित किया गया। कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा परिशोधन आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस प्रपत्र एस.टी. 12 में जारी किया गया है जो कि अविधिक है विशिष्ट रूप से ऐसी स्थिति में जब अधिनियम में स्पष्ट निर्देशित हो कि परिशोधन हेतु नोटिस प्रपत्र एस.टी. 33 में जारी किया जाना बाध्यकारी है।





लगातार.....4

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश वर्ष 93-94 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.1996 को पारित किये जाने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ आसाम (106 एस टी सी 460) में पारित अभिनिर्णय के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में राज्य सरकार के अधिकारियों को ब्याज आरोपण सम्बन्धी अधिकार दिनांक 12.5.2000 के संशोधन से प्रदान किये जाने के कारण उक्त संशोधन के पूर्व सम्पादित कर निर्धारण के प्रकरणों में ब्याज का अधिरोपण अवैध एवं अनुचित है। कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 9(2बी) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने मरिस्तष्क का उपयोग किये बिना ही ब्याज आरोपित करने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को निर्धारित प्रपत्र में कारण बताओ नोटिस जारी किये

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से अधिनियम की धारा 70(2) के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त प्रावधानों के तहत कर निर्धारण आदेश पारित होने के वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष के पश्चात ब्याज आरोपणीय नहीं है। उक्त आधार पर भी प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपण उचित एवम् विधिसम्मत नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2004 का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वित्त विधेयक 2000 दिनांक 12.5.2000 द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत देय कर की मांग के भुगतान के विलम्ब हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज आरोपण हेतु धारा 9(2बी) के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से किये जाने के कारण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु विधिनुसार नोटिस जारी किया जाकर अतिरिक्त कर एवं मांग देरी से जमा कराने पर अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील

अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवम् प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उठायी आपत्ति कि अधिनियम की धारा 70(2) के आलोक में, कर निर्धारण आदेश पारित होने के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ब्याज आरोपणीय नहीं है, के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2013 का अध्ययन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार कर बोर्ड को हस्तगत प्रकरण में निर्देशित कर, निम्न प्रावधानों/नियमों के अध्ययन के पश्चात् निर्णय पारित हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जो इस प्रकार है:—


“.....Accordingly, in my view, the Tax Board should have kept in mind rule 70 and Form ST-12 while deciding the controversy, and should not have merely gone on the basis of the order in the case of Rajdhani Bartan Bhandar (Supra).

Accordingly, in the light of the said fact and since the Tax Board is a final fact finding authority, without going into merits, further, as it may affect the matter, this Court is of the view that the matter should be decided afresh (de-novo) by the Tax Board in accordance with law keeping in view Rule 70 of the Rajasthan Sales Tax Rules, 1995.

Consequently, the revision petition is allowed. The order impugned dated 28-10-2004 passed by the Tax Board, Ajmer is quashed and set aside and the matter is remanded/resorted back to the Tax Board with the direction to decide the issue afresh(de-novo) after affording opportunity of being heard to both the sides....”

माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 70 व प्रपत्र एस.टी.-12 के आलोक में, हस्तगत प्रकरण का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उठायी गयी आपत्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में औचित्य विहीन है।

जहां तक प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्र एस.टी. 12 में जारी





लगातार.....6

नोटिस करने का प्रश्न है, इस संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित मूल निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.1996 को पारित किया गया था तथा अपीलीय व माननीय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा भी "विक्रय कर अधिनियम" के प्रावधानानुसार ही विवादित हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया गया था। अतः इस संबंध में वाद "विक्रय कर अधिनियम" प्रावधानानुसार होने तथा अधिनियम-1954 के समाप्त होने के पश्चात् "विक्रय कर नियमों-1995" के नियम के तहत प्ररूप एस.टी. 12 में नोटिस जारी किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित है। "अधिनियम-1954 व नियम 1955" के प्रावधानों के अनुसार विहित "प्ररूप एस.टी. 33" में नोटिस दिया जाने की विधिक आवश्यकता नहीं थी। "अधिनियम-1994" दिनांक 01.04.1995 से राजस्थान राज्य में लागू किया गया एवम् इस संबंध में "विधायिका" ने प्रावधानों को सुस्पष्ट करने के मद्देनजर, अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा 3 शामिल की है। चूंकि, हस्तगत प्रकरण में मूल निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.1996 को पारित किया गया है तथा प्रथम व द्वितीय अपीलें भी अधिनियम-1994 के प्रावधानानुसार ही निस्तारित हुयी हैं, अतः "विक्रय कर अधिनियम" के तहत उत्पन्न हुये बिन्दुओं पर उक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के प्रावधानानुसार परिशोधन आदेश पारित करने हेतु प्ररूप एस.टी. 12 में नोटिस जारी किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित है। यही नहीं कर बोर्ड के समक्ष अपील "विक्रय कर अधिनियम" की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, विवाद "विक्रय कर अधिनियम" के तहत उत्पन्न होने तथा धारा 74(3) के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, अधिनियम-1954/नियम-1955 नियमों के तहत विहित प्ररूप एस.टी. 33 में संशोधन आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस दिया गये का तर्क का विधिक औचित्य नहीं है। धारा 74(3) के प्रावधान (समय-समय पर यथा संशोधित) इस प्रकार हैं:-

**74. Repeal and savings. - (1).....**

(2).....

(3) Any notification or circular issued with reference to any of the provisions of the Old Sales Tax Rules and in force on the date of commencement of the New Sales Tax Rules, shall remain in force unless such notification or circular is superseded in express terms or

लगातार.....7


by necessary implication, and any reference of a rule of the Old Sales Tax Rules therein, shall be deemed to refer to the relevant rule of the New Sales Tax Rules.


इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 70 के प्रावधानानुसार संशोधन आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी प्ररूप एस.टी. 12 में नोटिस जारी करेंगे। उक्त नियम 70 इस प्रकार है:-

नियम:-70.--Notice for rectification of a mistake.- The notice required to be given for rectification of a mistake under section 37, shall be in form ST 12.”

अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति व नियम 70 के प्रावधानानुसार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी विधिक रूप से विहित प्ररूप एस.टी. 12 में नोटिस जारी कर, तदनुसार ब्याज की मांग राशि की गयी है जो पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः उपर्युक्त वर्णित विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है

निर्णय सुनाया गया।

  
(अमर सिंह)  
सदस्य

  
(मदन लाल)  
सदस्य